285

संख्याः–3232 /VI(1)/2013–09(05)/2013

प्रेषक,

सचिन कुर्वे
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 20 दिसम्बर, 2013

विषयः–राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान देहरादून की दक्षिण पश्चिम स्थित जमीन पर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–331/6–1–34/2013–14, दिनांक 3 सितम्बर, 2013 के माध्यम से राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान देहरादून की दक्षिण पश्चिम स्थित जमीन पर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु प्रस्तुत आगणन ₹ 4.95 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत ₹ 4.95 लाख **(₹ चार लाख पचानवे हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में 'विभागीय भवनों की मरम्मत' मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 25.00 लाख में से व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(i) स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिशित कर लिया जायेगा कि राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान देहरादून के निर्माण अथवा संस्थान हेतु किसी अन्य निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत की गई धनराशि में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु प्राविधान न किया गया हो अथवा इस हेतु कार्यदायी संस्था को कोई धनराशि अवमुक्त न की गई हो।

(ii) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iii) उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

(iv) कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। यह दायित्व निदेशक पर्यटन का होगा। अतः निदेशक पर्यटन Third party Monitering की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

(v) स्वीकृत की गयी धनराशि का किसी भी दशा में किसी अन्य मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

...2

(vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(viii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(ix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(x) एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

(xi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

2– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–48–विभागीय भवनों की मरम्मत–24–वृहत्त निर्माण कार्य के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–576/XXVII(2)/2013, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S 13122601755 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(सचिन कुर्वे)
अपर सचिव।

संख्याः–3222 /VI(1)/2013–09(05)/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी,साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, देहरादून।
8– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
अनुसचिव।